

DIR/11

रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003--05



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 15—अक्टूबर 21, 2005 (आश्विन 23, 1927)

No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 15—OCTOBER 21, 2005 (ASVINA 23, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर 2005

आवास वित्त कम्पनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001

निर्देश सं. एनएचबी, एचएफसी, डीआईआर, 11/सीएमडी/2005:--राष्ट्रीय आवास बैंक, लोक हित में अनिवार्य समझते हुए और इस बात से संतुष्ट होने पर, कि ऐसा करना आवश्यक है, उसके लाभ के लिए, देश की आवास वित्त प्रणाली को विनियमित करने में राष्ट्रीय आवास बैंक को समर्थ बनाने के उद्देश्य से, एतद्वारा, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धाराओं 30ए एवं 31 में प्रदत्त शक्तियों के तथा इस बारे में उसकी सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों के प्रयोग में, निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित ढंग से और संशोधित किया जाए, अर्थात्

अनुच्छेद 26 में स्पष्टीकरण (1),- में उप स्पष्टीकरण (3) में खंड (ख) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

व्यक्तियों को दिए गए ऐसे आवास ऋण जो अचल संपत्ति बंधक से प्रतिभूत हैं एवं जिन्हें मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है

75

पी. के. गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

NATIONAL HOUSING BANK**(Wholly Owned by the Reserve Bank of India)****New Delhi, the 1st October 2005****HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB) DIRECTIONS, 2001**

Direction No.NHB. HFC. DIR. 11/CMD/2005 :—The National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the National Housing Bank to regulate the housing finance system in the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby in exercise of the powers conferred by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall with immediate effect, be further amended in the following manner, namely:—

In paragraph 26, in Explanations (1),—

In Sub-Explanation (3), for item (b), the following shall be substituted, namely:—

Housing loans to individuals secured by mortgage of immovable property, which are classified as standard assets

75

P. K. GUPTA
Chairman and Managing Director